

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर

ठासीन अधिकारी :- रणजीत कुमार आर.ए.एस.

नवान :- राजस्व वाद संख्या 214/2024

1. नत्थू राम पुत्र श्री नन्द राम जाति जाट निवासी 2 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) ।
2. राम कुमार पुत्र श्री नन्द राम जाति जाट निवासी 2 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) ।

—वादीगण

## बनाम

1. अरविन्द ज्याणी पुत्र श्री राम कुमार ज्याणी जाति जाट निवासी 2 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) ।
2. शाखा प्रबन्धक, एच डी एफ सी बैंक लिमिटेड, शाखा श्रीगंगानगर
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर ।

— प्रतिवादी गण

## दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

—: उपस्थित अभिभाषकगण :-


- |                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| 1. श्री संजय जनवेजा        | वादीगण             |
| 2. श्री रोबिन गुम्बर       | प्रतिवादी संख्या 1 |
| 3. पैरोकार राज श्रीगंगानगर | प्रतिवादी संख्या 3 |



—: निर्णय :-

दिनांक :- 26.12.2024

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से है कि चक 2 सी छोटी पटवार हल्का 3 सी छोटी भू. अ. निरीक्षक क्षेत्र 18 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 45/35 ( मुताबिक जमाबन्दी सम्बत 2072 - 2075) का मुरब्बा नम्बर 27, 28, 37 व 38 की कुल 4.889 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि वादी संख्या 1 नत्थू राम के नाम से व इसी चक 2 सी छोटी पटवार हल्का 3 सी छोटी भू. अ. निरीक्षक क्षेत्र 18 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 76/56 ( मुताबिक जमाबन्दी सम्बत 2072 - 2075 ) का मुरब्बा नम्बर 27, 37 व 38 की कुल 6.042 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि वादी संख्या 2 रामकुमार के नाम से व इसी चक 2 सी छोटी पटवार हल्का 3 सी छोटी भू. अ. निरीक्षक क्षेत्र 18 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 5/5 ( मुताबिक जमाबन्दी सम्बत 2072-2075) का मुरब्बा नम्बर 22 व 27 की कुल 3.288 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 अरविन्द ज्याणी के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जो कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 को एक ही परिवार की उत्तराधिकारी से प्राप्त हुई है व संयुक्त परिवार की कृषि भूमि की संयुक्त आय से अर्जित की हुई सम्पति है। जो कि पैतृक सम्पति की परिभाषा में आती है। नकल जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है। वादीगण एवम प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी स्वेच्छा वा सहमति से उक्त भूमि का आपस में काफी समय पूर्व घरू मौखिक बंटवारा किया हुआ है तथा घरू मौखिक बंटवारा के अनुसार वादीगण एवम प्रतिवादी संख्या 1 को निम्न प्रकार से भूमि प्राप्त हुई है:-

  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीगंगानगर



(1) नत्पू राम पुत्र श्री नन्द राम जाति जाट निवासी 2 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर देह खातेदार का हिस्सा:-

चक 2 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 45/35 का मुरब्बा नम्बर 28 किला नम्बर 23 (0.228), 24 (0.228), 25/1 (0.202), 25/2 (0.026) कुल 0.684 है० नहरी मय खाला कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 37 किला नम्बर 4/1 (0.228), 4/2 (0.025) 7 (0.253) कुल 0.506 हैक्टियर नहरी मय खाला कृषि भूमि, कुल 1.190 हैक्टियर नहरी मय खाला कृषि भूमि व इसी चक 2 सी छोटी का खाता संख्या 5/5 मुरब्बा नम्बर 22 किला नम्बर 9 ता 14 (प्रत्येक 0.253), 15/1(0.228), 15/2(0.025) कुल 1.771 हैक्टियर नहरी मय खाला कृषि भूमि व इसी चक 2 सी छोटी खाता संख्या 76/56 का मुरब्बा नम्बर 37 किला नम्बर 5/1(0.228), 5/2(0.025), 6, 14, 15, 16, 17( 0.253), 24(0.085 है०, किला नम्बर 17 के साथ चिपता भाग) कुल 1.603 है० नहरी मय खाला कृषि भूमि, इस प्रकार कुल 4.564 है० नहरी मय खाला कृषि भूमि ।

(2). राम कुमार पुत्र श्री नन्द राम जाति जाट निवासी 2 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर देह खातेदार का हिस्सा:-

चक 2 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 76/56 का मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 20(0.253), 21 ता 25 (प्रत्येक 0.228) कुल 1.393 है० नहरी कृषि भूमि, मुरब्बा नम्बर 37 किला नम्बर 24 (0.168 है० किला नम्बर 25 के साथ चिपता भाग), 25 (0.253) कुल 0.421 है०, नहरी कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 38 किला नम्बर 15/1 (0.095) 16 ता 25 (प्रत्येक 0.253) कुल 2.625 है० नहरी कृषि भूमि, कुल 4.439 है० नहरी कृषि भूमि व इसी चक 2 सी छोटी का खाता संख्या 45/35 का मुरब्बा नम्बर 38 किला नम्बर 7 (0.126 है० किला नम्बर 8 के साथ चिपता भाग), 8 ता 14 (प्रत्येक 0.253), 15/2 (0.031) कुल 1.928 है० नहरी कृषि भूमि, इस प्रकार कुल 6.367 है० नहरी कृषि भूमि

(3). अरविन्द ज्याणी पुत्र श्री राम कुमार ज्याणी जाति जाट निवासी 2 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर साकिन देह खातेदार का हिस्सा:- चक 2 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 5/5 का मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 1/5(0.114), 1/6 (0.012), 2/1(0.228), 2/2(0.025), 3/1(0.228), 3/2(0.025), 4/1(0.228), 4/2 (0.025), 5/5(0.114), 5/6(0.012), 6(0.253), 7(0.253) ह 1.517 0 नहरी मय खाला कृषि भूमि व इसी चक 2 सी छोटी का खाता संख्या 45 / 35 का मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 1/3 (0.114), 1/4(0.012) कुल 0.126 है० नहरी कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 38 किला नम्बर 1 ता 6 ( प्रत्येक 0.253) 7(0.127 है० किला नम्बर 6 के साथ चिपता भाग) कुल 1.645 है० नहरी कृषि भूमि, कुल 1.771 हैक्टियर कृषि भूमि, इस प्रकार कुल 3.288 है० नहरी मय खाला कृषि भूमि ।

उक्त घरू बंटवारानामा अनुसार वादीगण एवमं प्रतिवादी संख्या 1 अपने-अपने हिस्से में आई हुई भूमि पर काबिज चले आ रहे है तथा मौका पर काश्त कर रहे हैं तथा वादीगण एवमं प्रतिवादी संख्या 1 की फसले खड़ी है । प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण का यह कहा हुआ है कि जब भी तुम चाहोगे, घरू बंटवारानुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा देंगे। इसी विश्वास पर वादीगण ने भारी मेहनत करके व काफी धन आदि खर्च करके अपने अपने हिस्सा के रकवा में सुधार कार्य करवाए है । वादीगण पढ़े लिखे व अज्ञानी काश्तकारान हैं तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर उन्नत खेती करना चाहते हैं, मगर कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम दर्ज ना होने के कारण वादीगण सभी सुविधाओं से वंचित रहते हैं । कुछ दिन पूर्व वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से कहा कि वह वादीगण के हिस्सा की भूमि वादीगण के नाम से किलावाईज अमल दरामद करवा देवे, पहले तो प्रतिवादी संख्या 1 टाल मटोल करता रहे तथा दिनांक 01.10.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 ने सहमति से बंटवारा करने से इन्कार कर दिया है। इसलिए वादीगण के पास



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीगंगानगर

माननीय न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया है। यही वाद कारण है।

यह कि उक्त आराजी अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के अन्तर्गत आता है तथा उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

यह कि प्रतिवादी संख्या 3 लैण्ड होल्डर होने के कारण आवश्यक पक्षकार है, तथा उसे पक्षकार बनाया गया है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र बहक वादीगण स्वीकार किया जाकर गिम्न प्रकार से डिक्री किया जावे:-

- (1) यह कि वाद पत्र की मद संख्या 3 की उप मद संख्या 1 ता 3 के अनुसार घोषणात्मक एवम् विभाजन की डिक्री पारित की जावे।
- (2) यह कि राजस्व रिकार्ड में अलग-अलग खाता कायम करने का तथा किलावाईज अंकन करने का आदेश प्रदान किया जावे।
- (3) अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा इकबालिया जवाब दावा पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 2 के अनुसार चक 2 सी छोटी पटवार हल्का 3 सी छोटी भू. अ. निरीक्षक क्षेत्र 18 जैड श्रीगंगानगर का खाता संख्या 45/35(मुताबिक तहसील व जिला जमाबन्दी सम्बत 76/56(2072-2075) का मुरब्बा नम्बर 27, 28, 37 व 38 की कुल 4.889 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि वादी संख्या 1 नत्थू राम के नाम से व इसी चक 2 सी छोटी पटवार हल्का 3 सी छोटी भू. अ. निरीक्षक क्षेत्र 18 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 76/56 (मुताबिक जमाबन्दी सम्बत 2072-2075) का मुरब्बा नम्बर 27, 37 व 38 की कुल 6.042 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि वादी संख्या 2 रामकुमार नाम से व इसी चक 2 सी छोटी पटवार हल्का 3 सी छोटी भू. अ. निरीक्षक क्षेत्र 18 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 5/5 ( मुताबिक जमाबन्दी सम्बत 2072-2075) का मुरब्बा नम्बर 22 व 27 की कुल 3288 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 अरविन्द ज्याणी के नाम से दर्ज होना स्वीकार है। यह भी सही है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 को एक ही परिवार की उत्तराधिकारी से प्राप्त हुई है व संयुक्त परिवार की कृषि भूमि की संयुक्त आय से अर्जित की हुई सम्पति है। जो कि पैतृक सम्पति की परिभाषा में आती है। यह सही है कि वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 1 आपस में काफी समय पूर्व घरू मौखिक बंटवारा के अनुसार वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 1 के प्रकार से भूमि प्राप्त हुई है:-

- (1). नत्थू राम पुत्र श्री नन्द राम जाति जाट निवासी 2 सी छोटी तहसील व श्रीगंगानगर देह खातेदार का हिस्सा:-  
चक 2 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 45/35 का मुरब्बा नम्बर 28 किला नम्बर 23 (0.228), 24 (0.228), 25/1(0.202), 25/2 (0.026) कुल 0.684 है० नहरी मय खाला कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 37 किला नम्बर 4/1(0.228), 4/2(0.025) 7 (0.253) कुल 0.506 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि, कुल 1.190 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि व इसी चक 2 सी छोटी का खाता संख्या 5/5 मुरब्बा नम्बर 22 किला नम्बर 9 ता 14 (प्रत्येक 0.253), 15/1 (0.228), 15/2 (0.025) कुल 1.771 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि व इसी चक 2 सी छोटी खाता संख्या 76/56 का मुरब्बा नम्बर 37 किला नम्बर 5/1(0.228), 5/2(0.025), 6, 14, 15, 16, 17( 0.253), 24(0.085 है०, किला नम्बर 17 के



7  
जिला अधिकारी (राजस्व)  
श्रीगंगानगर

साथ चिपता भाग) कुल 1.603 है० नहरी मय खाला कृषि भूमि, इस प्रकार कुल 4.564 है० नहरी मय खाला कृषि भूमि ।

(2). राम कुमार पुत्र श्री नन्द राम जाति जाट निवासी 2 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर देह खातेदार का हिस्सा:-

चक 2 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 76/56 का मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 20 (0.253), 21 ता 25 ( प्रत्येक 0.228) कुल 1.393 है० नहरी कृषि भूमि, मुरब्बा नम्बर 37 किला नम्बर 24 (0.168 है० किला नम्बर 25 के साथ चिपता भाग), 25 (0.253) कुल 0.421 है० नहरी कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 38 किला नम्बर 15/1 (0.095), 16 ता 25 (प्रत्येक 0.253) कुल 2.625 है० नहरी कृषि भूमि, कुल 4.439 है० नहरी कृषि भूमि व इसी चक 2 सी छोटी का खाता संख्या 45/35 का मुरब्बा नम्बर 38 किला नम्बर 7(0.126 है० किला नम्बर 8 के साथ चिपता भाग), 8 ता 14(प्रत्येक 0.253), 15/2 (0.031) कुल 1.928 है० नहरी कृषि भूमि, इस प्रकार कुल 6.367 है० नहरी कृषि भूमि ।

(3). अरविन्द ज्याणी पुत्र श्री राम कुमार ज्याणी जाति जाट निवासी 2 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर साकिन देह खातेदार का हिस्सा:- चक 2 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 5/5 का मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 1/5(0.114), 1/6 (0.012), 2/1(0.228), 2/2(0.025), 3/1(0.228), 3/2(0.025), 4/1(0.228), 4/2(0.025), 5/5(0.114), 5/6(0.012), 6(0.253), 7(0.253) 1.517 है० नहरी मय खाला कृषि भूमि व इसी चक 2 सी छोटी का खाता संख्या 45/35 का मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 1/3 (0.114), 1/4 (0.012) कुल 0.126 है० नहरी कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 38 किला नम्बर 1 ता 6 (प्रत्येक 0.253), 7(0.127 है० किला नम्बर 6 के साथ चिपता भाग) कुल 1.645 है० नहरी कृषि भूमि, कुल 1.771 हैक्टेयर कृषि भूमि, इस प्रकार कुल 3.288 है० नहरी मय खाला कृषि भूमि । प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने अन्य कार्यों में व्यस्त होने के कारण बंटवारा से इन्कार किया था। अब लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का आपस में राजीनामा हो गया है। अतः जवाब वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वाद पत्र की मद संख्या 3 की उप मद संख्या 1 ता 3 के अनुसार घोषणात्मक एवम विभाजन की डिक्री पारित की जावे ।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील वादीगण एवम वकील प्रतिवादी दोराने बहस निवेदन किया गया कि प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादी की आपसी सहमति वाद वादीगण स्वीकार किया जावे। वकील वादीगण द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेख दस्तावेजात एवं जमाबंदी सम्वत 2072-2075 चक 2 सी छोटी, पटवार हल्का 3 सी छोटी, भू अ.नि.क्षेत्र. 18 जैड़, तहसील श्रीगंगानगर खाता संख्या 45/35, जमाबंदी सम्वत 2072-2075 चक 2 सी छोटी, पटवार हल्का 3 सी छोटी, भूअ.नि.क्षेत्र. 18 जैड़, तहसील श्रीगंगानगर खाता संख्या 76/56, जमाबंदी सम्वत 2072-2075 चक 2 सी छोटी, पटवार हल्का 3 सी छोटी, भूअ.नि.क्षेत्र. 18 जैड़, तहसील श्रीगंगानगर खाता संख्या 5/5 का अवलोकन किया गया। वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 जमाबंदी के अनुसार भूमि का विभाजन करवाने के अधिकारी हैं। अतः वाद वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 स्वीकार योग्य पाया गया।

॥ आदेश ॥

अतः वाद वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 आपसी सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण को निम्न प्रकार खातेदार घोषित किया जाता है :-

(1) नथू राम पुत्र श्री नन्द राम जाति जाट निवासी 2 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर देह खातेदार का हिस्सा:-

चक 2 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 45/35 का मुरब्बा नम्बर 28 किला नम्बर 23 ( 0.228), 24 (0.228), 25/1 (0.202), 25/2 (0.026) कुल 0.684

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीगंगानगर

है० नहरी मय खाला कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 37 किला नम्बर 4/1 (0.228), 4/2 (0.025) 7 (0.253) कुल 0.506 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि, कुल 1.190 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि व इसी चक 2 सी छोटी का खाता संख्या 5/5 मुरब्बा नम्बर 22 किला नम्बर 9 ता 14 ( प्रत्येक 0.253), 15/1 (0.228), 15/2 (0.025) कुल 1.771 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि व इसी चक 2 सी छोटी खाता संख्या 76/56 का मुरब्बा नम्बर 37 किला नम्बर 5/1(0.228), 5/2(0.025), 6, 14, 15, 16, 17( 0.253), 24(0.085 है०, किला नम्बर 17 के साथ चिपता भाग) कुल 1.603 है० नहरी मय खाला कृषि भूमि, इस प्रकार कुल 4.564 है० नहरी मय खाला कृषि भूमि।

(2). राम कुमार पुत्र श्री नन्द राम जाति जाट निवासी 2 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर देह खातेदार का हिस्सा:-

चक 2 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 76/56 का मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 20(0.253), 21 ता 25 (प्रत्येक 0.228) कुल 1.393 है० नहरी कृषि भूमि, मुरब्बा नम्बर 37 किला नम्बर 24 (0.168 है० किला नम्बर 25 के साथ चिपता भाग), 25 (0.253) कुल 0.421 है०, नहरी कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 38 किला नम्बर 15/1 (0.095) 16 ता 25 (प्रत्येक 0.253) कुल 2.625 है० नहरी कृषि भूमि, कुल 4.439 है० नहरी कृषि भूमि व इसी चक 2 सी छोटी का खाता संख्या 45/35 का मुरब्बा नम्बर 38 किला नम्बर 7 (0.126 है० किला नम्बर 8 के साथ चिपता भाग), 8 ता 14 ( प्रत्येक 0.253), 15/2 (0.031) कुल 1.928 है० नहरी कृषि भूमि, इस प्रकार कुल 6.367 है० नहरी कृषि भूमि।

(3). अरविन्द ज्याणी पुत्र श्री राम कुमार ज्याणी जाति जाट निवासी 2 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर साकिन देह खातेदार का हिस्सा:-

चक 2 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 5/5 का मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 1/5(0.114), 1/6(0.012), 2/1 (0.228), 2/2(0.025), 3/1 (0.228), 3/2(0.025), 4/1(0.228), 4/2 (0.025), 5/5(0.114), 5/6(0.012), 6(0.253), 7(0.253) ह 1.517 0 नहरी मय खाला कृषि भूमि व इसी चक 2 सी छोटी का खाता संख्या 45/35 का मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 1/3(0.114), 1/4(0.012) कुल 0.126 है० नहरी कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 38 किला नम्बर 1 ता 6( प्रत्येक 0.253) 7(0.127 है० किला नम्बर 6 के साथ चिपता भाग) कुल 1.645 है० नहरी कृषि भूमि, कुल 1.771 हैक्टेयर कृषि भूमि इस प्रकार कुल 3.288 है० नहरी मय खाला कृषि भूमि।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु प्रस्तुत किये जाने पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर वाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।  
निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 26.12.2024 को जारी किया जाकर उभयपक्ष को सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)  
उपखण्ड डिक्री (राजस्व)  
श्रीगंगानगर

